



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1050]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2017/चैत्र 23, 1939

No. 1050]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2017/CHAITRA 23, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2017

**का.आ. 1182(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 अप्रैल, 2017 को वह तारीख नियुक्त करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 234 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/37/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2017

**S.O. 1182(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 13<sup>th</sup> day of April, 2017 as the date on which the provisions of section 234 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/37/2013-CL.V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.